वानिकी समाचार

वन विभाग, राजस्थान का मासिक पत्र

वर्ष : 29 अंक : 1 मार्च : 2012

जल थल और नभ करे पुकार।
पृथ्वी का हरितिमा से हो श्रृंगार।।

विश्व वानिकी दिवस विशेषांक

राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी निर्णय

बनेगा राजीव गांधी बायोस्फियर रिजर्व

❐ यू.एम. सहाय

राज्य सरकार ने वनों, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण सुधार के लिए एक दूरगामी दृष्टिकोण अपनाते हुए दक्षिणी तथा पूर्वी अंचल में फैले हुए अनेक वन्यजीव अभयारण्यों को जोड़कर एक बायोस्फियर रिजर्व बनाने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। दिनांक 4 जनवरी, 12 को हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में सर्वसम्मति से इस बाबत निर्णय लिया गया था। विभाग द्वारा प्रस्तावित बायोस्फियर की रूपरेखा तथा कार्य योजना बनाकर भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दी गई है। इसमें आगामी दो शताब्दियों के प्राकृतिक आवास प्रबंधन को ध्यान में रखा गया है।

इस रिजर्व का दायरा लगभग ग्यारह हजार वर्ग किलोमीटर होगा। जिसमें न केवल 11 अभयारण्यों के प्राकृतिक आवासों एवं जैव विविधता का संरक्षण किया जायेगा बल्कि वानिकी विकास तथा सघन वृक्षारोपण करके सभी अभयारण्यों के मध्य हरे-भरे गलियारे विकसित कर जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। इससे इन अभयारण्यों में निवास करने वाले वन्य प्राणियों के सुगम आवागमन का मार्ग प्रशस्त होगा, भोजन-पानी की तलाश में इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा तथा वन्य जीवों की वंशवृद्धि से भावी जनसंख्या को नये-नये आवास भी उपलब्ध होने लगेंगे।

राज्य के इस पहले प्रस्तावित राजीव गांधी बायोस्फियर रिजर्व में धौलपुर जिले के रामसागर, वन विहार तथा केसर बाग, करौली जिले के कैला देवी, सवाईमाधोपुर जिले के रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई मानसिंह, कवालजी गैम रिजर्व, बूंदी जिले के रामगढ़-विषधारी, कोटा के दर्रा (मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान) जवाहर सागर तथा चंबल अभयारण्य, बारां जिले के शेरगढ़, चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ अभयारण्यों को शामिल किया गया है।

वन्य जीव प्रबंधन की दृष्टि से इन वन्यजीव विचरण आवासों को कोर जोन, बफर जोन तथा ट्राजंक्शन जोन में वर्गीकृत किया जायेगा। इस रिजर्व के विकसित होने, परस्पर गलियारों से जुड़ने तथा भोजन-पानी की व्यवस्था सुलभ होने से लुप्त हो रहे बाघों को नया जीवनदान मिलेगा। रणथम्भौर की बढ़ती बाघों की संख्या को उनके पुराने आवास फिर मिलने लगेंगे। साथ ही धौलपुर-करौली-सवाईमाधोपुर-बूंदी-कोटा तक उनके उन्मुक्त विचरण के सुरक्षित मार्ग (गलियारे) भी मिल सकेंगे।

अच्छे प्राकृतिक आवास उपलब्ध होने पर वन्य जीवों का गाँवों-शहरों की ओर पलायन भी रूकेगा एवं आये दिन होने वाली वाहन दुर्घटनाओं, अकाल से मृत्यु तथा शिकार की रोकथाम में भी बहुत मदद मिलेगी।

इस रिजर्व के बनने से लाभ यह होगा कि एक ओर जंगलों के समीप रहने वाले स्थानीयवासियों को व्यापक रोजगार मिलेगा, विकास की मुख्यधारा में जोड़ने हेतु उनका पुर्नवास होगा तथा प्रकृति पर्यटन, होटल व्यवसाय, वाहन चालकों, नेचर गाइडों, ट्रेवल एजेन्टों आदि को आजीविका कमाने का समुचित अवसर प्राप्त होगा।

प्रस्तावित राजीव गांधी बायोस्फियर रिजर्व

संपादक मंडल

संरक्षक
यू.एम. सहाय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज.

संपादक
एस.के. श्रीवास्तव
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)

उप संपादक
अरिंदम तोमर
मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी

सहायक संपादक
डॉ. सूरज जिद्दी

सम्पादकीय...

विश्व विनिकी दिवस

भले ही राजस्थान की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियाँ वृक्षारोपण के लिए उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी अन्य राज्यों में विद्यमान हैं तथापि इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सहर्ष स्वीकार करके जनआकांक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरने के लिए भागीरथी प्रयास विभाग द्वारा किये जा रहे हैं।

एक ओर प्राकृतिक वनों की सुरक्षा का प्रश्न है तो दूसरी ओर ईंधन, चारा, लकड़ी और लघु वन उपज की मांग आपूर्ति का सवाल है। यह कार्य जन-जन की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति, कृषक, मजदूर, ग्रामीण, शहरी तथा वनवासियों के साथ लगातार सम्पर्क करना, उन्हें वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण संरक्षण की भावना जागृत करना और वनों का अनुकूलतम लाभ समाज को दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

आज, वनकर्मियों से समाज को बहुत अपेक्षायें हैं। वन विभाग और वनकर्मियों की साख एवं प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अतः जहाँ-जहाँ जन-सहयोग से वन विकास, ग्राम्यवन, चारागाह के कार्य अच्छे हुए हैं उन्हें प्रकाश में लाना होगा ताकि लोग प्रेरित हों, वहीं उल्लेखनीय वानिकी कार्य करने वाले कृषकों, व्यक्तियों, समाज सेवियों, स्वयंसेवी संस्थाओं को यथोचित महत्व, सम्मान देना तथा सहयोग लेना होगा ताकि उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हो सकें।

विश्व वानिकी दिवस, एक ऐसा ही अवसर हमें प्रदान करता है जब हम जनता के मध्य, युवाशक्ति के साथ, ग्रामीणों की सहभागिता से जन सम्मान देने तथा जन विश्वास अर्जित करने का कार्य कर सकते हैं। जो लोग प्राकृतिक वनों, सामुदायिक तथा ग्राम्य वनों की सुरक्षा में जुटे हुए हैं उनके कार्यों को दूसरों को दिखाने का कार्य भी कर सकते हैं ताकि उन्हें प्रेरणा मिलें, वे भी हमारे साथ आयें।

वनों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए जरूरी है कि पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दें, इस दिशा में भी अपने-अपने जिलों में कार्य करें। विश्वास है विश्व वानिकी दिवस से नई संकल्पशक्ति के साथ हम प्रदेश को हरा-भरा बनाने का सपना साकार कर सकेंगे।

घोषणा पत्र

(फार्म-4)

1.	प्रकाशन स्थल	: जयपुर
2.	प्रकाशन की अवधि	: मासिक
3.	मुद्रक का नाम	: प्रिण्ट 'ओ' लैण्ड
	क्या भारत का नागरिक है	: हाँ
	पता	: बी-3, सुदर्शनपुरा इण्ड. एरिया, बाईस गोदाम, जयपुर
4.	प्रकाशक का नाम	: एस.आर. काला उप वन संरक्षक संचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण
	क्या भारत का नागरिक है	: हाँ
	पता	: अरावली भवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर (राज.)
5.	संपादक का नाम	: एस.के. श्रीवास्तव
	क्या भारत का नागरिक है	: हाँ
	पता	: वन भवन, सी-स्कीम जयपुर
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हों	: वन विभाग राजस्थान सरकार

मैं **एस.आर. काला** एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य है।

हस्ताक्षर
एस.आर. काला
(प्रकाशक के हस्ताक्षर)

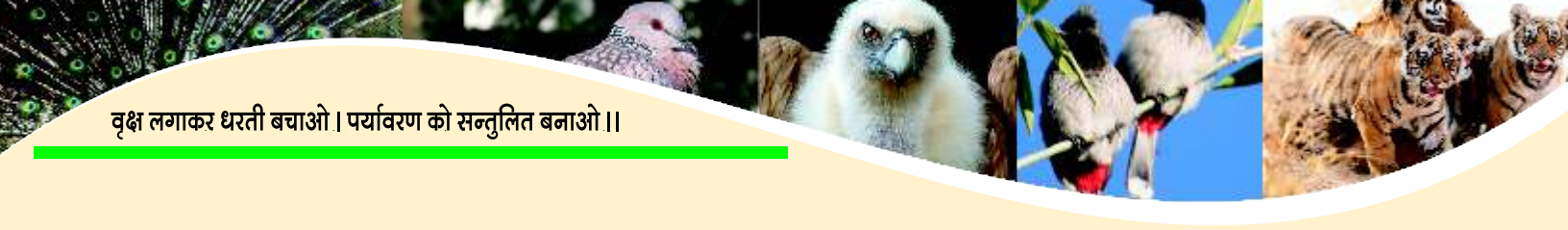

21 मार्च : विश्व वानिकी दिवस

बढ़लते परिवेश में जहाँ जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग तथा घटती हरियाली ने पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न कर दी है वहाँ प्राकृतिक वनों, वन्य जीवों के आवासों पर बढ़ते जैविक दबावों ने आज वन संरक्षण को विश्व व्यापी चिंता का विषय बना दिया है। विश्व वानिकी दिवस इस दिशा में चिंतन का सुअवसर है।

❒ एस.के. श्रीवास्तव

वनों का भारतीय संस्कृति एवं जन –जीवन से अति प्राचीनकाल से ही सम्बन्ध रहा है। वन, पृथ्वी पर जीवन के प्रारम्भिक काल से ही पशु, पक्षी एवं मानव जाति के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन रहे हैं। वनों के निरन्तर शोषण और अधिकाधिक उपयोग से वन सम्पदा का हास होता चला आ रहा है और आज तो प्राकृतिक संतुलन का समीकरण ही अस्थिर हो गया है।

बीसवीं शताब्दी के मशीनी युग में एक ओर जहां कल–कारखानों एवं बड़े उद्योगों की वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती हुई जनसंख्या की कृषि, आवासीय और खनिज पदार्थों की आवश्यकताओं ने तो वनों को विनाश के कगार पर ही पहुँचा दिया है। फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण, भू–क्षरण, प्राकृतिक अंसतुलन जैसी गम्भीर समस्याओं ने मानव जाति के अस्तित्व न केवल खतरा ही पैदा किया है बल्कि प्राणी जगत को भी ललकारा है। विश्व जनमत को इस भावी खतरे से आगाह करने हेतु 1972 में 'युरोपियन कोनफेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर' नामक संस्था ने अपनी 23 वीं आम बैठक में यह मुद्दा उठाया और प्रत्येक देश में वन एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु आयोग का गठन करवाया गया। भारत में भी सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फोरेस्ट्री की इस मुद्दे पर नवम्बर, 1983 में हुई बैठक में संगठन के प्रस्तावों को स्वीकार किया गया एवं 21 मार्च को 'वानिकी दिवस' मनाने को निर्णय लिया गया।

वन सम्पदा, प्रकृति की एक ऐसी देन है जो निरन्तर प्रकृति के क्रमबद्ध नियमों के अनुसार प्राणी मात्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कोयले की खान एवं पैट्रोलियम के भण्डार तो कुछ समय के पश्चात् समाप्त हो सकते हैं, किन्तु यदि वनों को प्रजनन एवं संवर्द्धन वानिकी विज्ञान के सिद्धांतो के अन्तर्गत किया जाय तो वन सम्पदा का हास नहीं हो सकता है। वन न केवल वर्तमान काल में ही आवश्यक है वरन् आने वाली पीढ़ियों के लिये भी महत्वपूर्ण हैं। सम्भवतः आज जो वन उपज की हमारी आवश्यकता है, वह भविष्य में कुछ अंश तक बदल जावे परन्तु उनके स्थान पर ऐसी आवश्यकतायें सामने आयेंगी, जिनमें वन एवं वन उपज का अधिकाधिक उपयोग होगा। पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने एवं पर्यावरण को शुद्ध रखने में वनों की उपादेयता को अब अधिक महत्वपूर्ण समझा जाने लगा है।

पृथ्वी पर मनुष्य, पशु–पक्षी एवं अन्य जीव–जन्तुओं का अस्तित्व प्रमुख रूप से भूमि, वायु तथा जल पर निर्भर करता है और इन तीनों घटकों की सतत् उपलब्धता वनों पर निर्भर है। यह सर्वविदित है कि वन वर्षा को आकृष्ट करते हैं और जल प्रवाह से मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तथा जल ग्रहण क्षेत्रों में वर्षा के जल को सुरक्षित रखते है।

वैज्ञानिकों का मत है कि किसी भी भू–भाग के प्राकृतिक सन्तुलन को बनाये रखने के लिए लगभग एक तिहाई भू–भाग वनों से आच्छादित होने चाहिये। वर्तमान युग में हो रहे औद्योगिक विकास, जनसंख्या एवं पशुधन संख्या में भारी वृद्धि के फलस्वरूप वन धीरे–धीरे कम होते जा रहे हैं। इनसे न केवल पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है।

बल्कि अनावृष्टि और अकाल जैसी समस्याओं का खतरा भी मानव जाति के सामने उठ खड़ा हुआ है। **हमारे देश में लगभग 23 प्रतिशत भू–भाग वनों के अन्तर्गत आता है किन्तु हमारे प्रदेश में वन क्षेत्र केवल 9 प्रतिशत ही है। जिसमें से अधिकतर भाग में नगीं पहाड़ियां है और केवल 3 प्रतिशत भू–भाग ही सघन वनों से आच्छादित कहा जा सकता है। अतः हमारे प्रदेश में वनों के संरक्षण एवं वन विस्तार की नितान्त आवश्यकता है।**

वनों का मानव जाति के इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि मनुष्य वनों के बिना अपना जीवनयापन कर ही नहीं सकता। चाहे कितना ही विकास हो जाये, वनों का जीवन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से महत्व रहेगा,

बाकी पेज 6 पर.....

राज्य के वनकर्मियों का सम्मान

कर्मचारी यूनियनों की कार्यशैली की लीक से अलग हटकर इस वर्ष भी राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ द्वारा 16 फरवरी, 2012 को सचिवालय के पीछे स्थित अशोक विहार के **पर्यावरण चेतना** केन्द्र पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

समारोह की मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री श्रीमती बीना काक तथा विशिष्ठ अतिथि श्री माहिर आजाद, अध्यक्ष, अल्प सख्यंक प्रकोष्ठ एवं श्री प्रतापसिंह खाचरियावास, विधायक, जयपुर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री यू.एम.सहाय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान एवं हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स ने की।

सम्मान समारोह के आयोजन की प्रशंसा करते हुए मुख्यअतिथि एवं वन मंत्री श्रीमती बीना काक ने कहा कि आमतौर पर कर्मचारी यूनियनें धरना, प्रदर्शन, मांगे मगवाने हेतु आंदोलन आदि ही कार्य करती हैं लेकिन वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ ने विभागीय कर्मियों के सम्मान का यह कार्यक्रम आयोजित कर अच्छी पहल की है। इससे न केवल अच्छे कार्य करने वाले विभागीय कर्मचारियों–अधिकारियों का मनोबल बढ़ता है बल्कि आपस में सौहार्दभाव भी बढ़ता है।

वन मंत्री ने कर्मचारी संघ से आह्वान किया कि वे राज्य के वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रभावी कार्य करें ताकि प्रदेश की प्राकृतिक सम्पदा का संरक्षण हो सके। उन्होंने अवैध वन कटाई, अवैध खनन तथा वन भूमि पर अतिक्रमण आदि पर चिंता जताते हुए कहा कि कानून के अनुसार अपराधियों के विरूद्ध कठौर कार्यवाही करें।

विशिष्ठ अतिथि के रूप में बोलते हुए विधायक प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि अधिकारियों–कर्मचारियों की पद्दोन्नति में व्याप्त असंतुलन को समाप्त कर अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी समयबद्ध पदौन्नतियाँ दी जानी चाहिये। विशिष्ठ अतिथि माहिर आजाद ने अपने उद्बोधन में कहा कि अधिकारियों के अपने मातहतों के छोटे–मोटे भत्तों में बढ़ोतरी एवं निपटान शीघ्र करने चाहिये।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री यू.एम.सहाय ने कहा कि वे सभी अधिकारियों–कर्मचारियों को साथ लेकर वन विकास का कार्य करेंगे और यथोचित मांगों एवं समस्याओं का हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे पूर्व संघ के संयोजक बनवारी लाल शर्मा ने आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला और कहा कि अच्छे कार्य करने वालों का सम्मान करना हमारा सामाजिक कर्तव्य है।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में संघ के संस्थापक अध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़ ने सबका स्वागत किया और संघ के सकल्पों को दोहराया। संघ के प्रदेशाध्यक्ष जसवंत सिंह तवँर ने सबका आभार व्यक्त किया।

सम्मान समारोह में सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक आर.एन.मेहरोत्रा तथा आर.सी.एल.मीणा को प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही, उप वन संरक्षक बी.आर.भादू. (बाड़मेर), सहायक वन संरक्षक सर्वश्री दौलत सिंह शक्तावत (रणथम्भोर) एवं डॉ. भगवान सिंह नाथावात, (वन भवन), जयपुर वनपाल रामफूल शर्मा, वन रक्षकगण सर्वश्री राजवीर सिंह, बलवीर सिंह, जहूर खां, तथा ओम सिंह और मंत्रालयिक संवर्ग से सर्वश्री चिरंजीलाल (कार्यालय सहायक) केसरमल डबरिया (क.लि.) इकबाल खान (क.लि) गजेन्द्र टांक (व.लि.) आदि को भी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

आयोजन की झलकियाँ

माननीय वन मंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करते हुए भंवरसिंह राठौड़

मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए वन मंत्री श्रीमती बीना काक।

अध्यक्षीय उद्‌बोधन करते हुए श्री यू.एम. सहाय।

संघ संयोजक बनवारी लाल शर्मा आयोजन का उद्देश्य बताते हुए।

अतिथियों से सम्मान ग्रहण करते हुए डॉ. भगवान सिंह नाथावत।

अतिथियों से सम्मान ग्रहण करते हुए केसर मल डबरिया (वनभवन, जयपुर)

अतिथियों से सम्मान ग्रहण करते हुए ओमसिंह (जेडीए)

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी-कर्मचारी समुदाय।

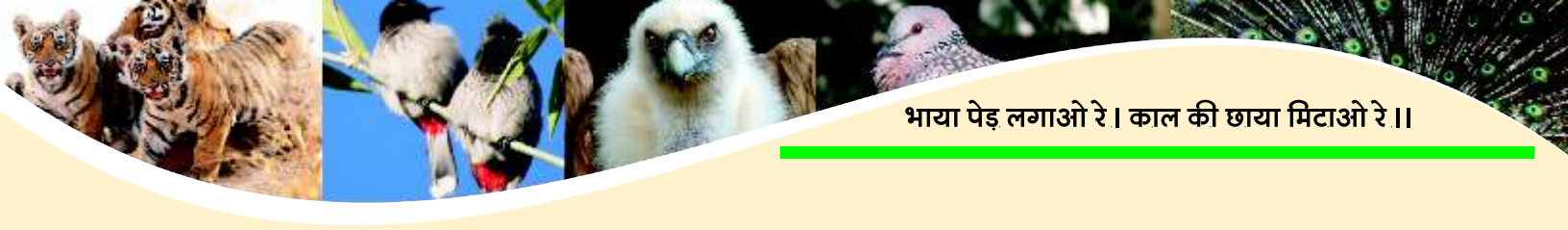

(पेज 3 का शेष.....)

जिसके लिये वनों को सुरक्षित रखना होगा। वनों के संरक्षण एवं विकास पर सरकार करोड़ो रुपये व्यय कर रही है, परन्तु ये जन साधारण की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आकर वनों के संरक्षण एवं विकास में हाथ बटाना होगा। वन सरकार के ही क्यों? समाज के क्यों नहीं? यह चिन्तन ही वनों को संरक्षण प्रदान कर सकता है। ग्राम–समाज अपनी ईंधन, चारा एवं लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति के लिये अपना वन लगावें और उसका संरक्षण करें, तभी वानिकी विकास और वनों की सुरक्षा हो सकेगी।

राजस्थान जैसे कृषि एवं पशुपालन प्रधान प्रदेश में प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने एवं कृषि तथा पशुपालन के विकास में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। दिन–प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या की निरन्तर बढ़ती हुई वन उपज की मांग की पूर्ति करने में वनों का जो ह्रास हुआ है उसके फलस्वरूप प्रदेश में वनों को क्षेत्रफल ही कम नहीं हुआ है बल्कि उनकी उत्पादन क्षमता भी काफी गिर गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अन्न एवं चारे के पश्चात् ईंधन की मांग ही प्राथमिकता पर आती है जो मुख्यतःजलाऊ लकड़ी, गोबर के उपले एवं कृषि अवशेषों से प्राप्त होती है। प्रदेश की जलाऊ लकड़ी की वर्तमान आर्थिक मांग 66 लाख टन आंकी गई है जबकि वनों से लगभग 5 लाख टन जलाऊ लकड़ी ही प्राप्त होती है। जो कि कुल मांग की 8 प्रतिशत से भी कम है। प्रदेश के अधिकांश वन क्षेत्र घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर अरावली एवं विंध्याचल की पर्वत मालाओं पर ही सीमित है। अतः इनसे मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों के पास बसे हुए ग्रामीणों की ईंधन की आवश्यकता की ही पूर्ति हो पाती है। शेष 92 प्रतिशत जलाऊ लकड़ी की मांग पूर्ति खेतों, चरागाहों, सिवाय चक भूमि पर खड़े वृक्षों में भारी कमी हो रही है और धीरे–धीरे जलाऊ लकड़ी का यह स्त्रोत भी समाप्त होता जा रहा है। प्रदेश के कुछ नगरों में तो शव जलाने के लिये लक ड़ी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है।

आज हमें पेड़ की कितनी जरूरत है? यह सोचना है। इसका अनुमान लगाने के लिए यदि हम सोचें कि एक पेड़ से 30 किलो लकड़ी, 8 वर्ष के बाद मिलती है तो हमें 8 वर्षों में 24 लाख हैक्टर भूमि में करीब 240 करोड़ पेड़ लगाने पड़ेगें। जिनमें से अपनी आवश्यकता के लिए 30 करोड़ पेड़ प्रति वर्ष काटे जा सकते हैं। इस प्रकार हमारे प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर आज की जरूरत प्रति व्यक्ति प्रति पेड़ उगाने और विकसित करने की है।

अतः यह कार्यक्रम जनता के सक्रिय सहयोग के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है।

वानिकी में नवाचार

ईको–ट्यूरिज्म परियोजनाएं

विभाग द्वारा सरिस्का, रणथम्भौर, केवलादेव, माउण्ट आबू एवं कुंभलगढ़ अभयारण्यों के लिए ईको–ट्यूरिज्म परियोजनायें भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है। उक्त में से भारत सरकार द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हेतु 2.61 करोड़ रुपये एवं माउण्ट आबू अभ्यारण्य हेतु 2.13 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ कर दिए गए हैं। अब तक दोनों परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर क्रमशः रुपये 126.78 लाख एवं 38.75 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

कुंभलगढ़–टॉडगढ़ रावली क्षेत्र की परियोजना भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत की गई है, जिसकी लागत राशि 5.95 करोड़ रुपये है। माह अगस्त, 2011 में पर्यटन विभाग द्वारा राशि 50.00 लाख का आवंटन किया गया है। कार्य प्रारम्भ करा दिये गये हैं।

आयोजना मद में मैनाल एवं हमीरगढ़ (भीलवाड़ा) बस्सी, सीतामाता (चित्तौड़गढ़), पंचकुण्ड (अजमेर), सूण्डामाता (जालौर) एवं गुढ़ा विश्नोई (जोधपुर) साईट्स में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास कराया जा रहा है।

वन खण्डों का डिजिटाईजेशन

राजस्थान में वन खण्डों के कैडस्ट्रल मैप्स का डिजिटाईजेशन कार्य स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जोधपुर, विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है।

डिजिटाईजेशन के उपरांत इन्हें स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर द्वारा उपलब्ध काटोंसेट सेटेलाईट डेटा पर सुपरइमपोज करके वन एटलस तैयार किया जावेगा।

डिजिटाईजेशन का कार्य जयपुर, दौसा, अलवर, टोंक, धौलपुर, अजमेर एवं बारां जिले के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्रों का कार्य किया गया है एवं अन्य जिलों के वन क्षेत्रों का कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त होने आरम्भ हो गए हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र (जी.आई.एस.) के माध्यम से किए गए प्रयासों के अब तक निम्नांकित परिणाम सामने आये हैं।

- विभिन्न विभागों/संस्थाओं को जिलों की डिजीटाईज वन सीमा ज्ञान की आपूर्ति।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अरावली श्रृंखला के डिजीटाईज मानचित्रों की आपूर्ति
- दौसा वर्किंग प्लान के लिए स्टॉक मैप की तैयारी
- जयपुर जिले का वन एटलस
- प्रस्तावित राजीव गांधी बायोस्फियर रिजर्व का मानचित्रकरण, योजना एवं थीम आधारित नक्शों का निर्माण तथा नम भूमियों की पहचान की रिपोर्ट

वन्य जीव हैं मित्र हमारे। इन पर निर्भर प्राण तुम्हारे।।

विधि-विधान

वन्य जीव अपराध अन्वेषण कैसे करें?

❐ डॉ. भगवान सिंह नाथावत

राजस्थान में विगत् 2–3 वर्षों में बाघ के अनेक शिकारियों की न केवल धर–पकड़ की गई है बल्कि सही तरीके से मुकद्दमे बनाने, पैरवी करने तथा विधिक प्रक्रिया अपनाने से वन्य जीव अपराधियों को न्यायालयों द्वारा कठोर सजा–कारावास दिलाना भी संभव हुआ है। इसी दृष्टिकोण से प्रस्तुत है यह आलेख।

वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम–1972 के अन्तर्गत अन्वेषणकर्ता को किन–किन विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अन्वेषण करना चाहिए ताकि विधिक उलझनों का सामना नहीं करना पड़े। अतः वनकर्मियों के ज्ञानवर्धन हेतु निम्नानुसार मुख्य विधिक प्रावधानों का व्याख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है।

संज्ञानयोग्य अपराध : संज्ञानयोग्य अपराध वह है, जिसमें प्राधिकृत अधिकारी बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता–1973 की धारा 155 व 156 के प्रावधानों के अनुसार असंज्ञेय अपराध में प्राधिकृत अधिकारी को बिना न्यायालय आदेश के गिरफ्तार करने एवं अन्वेषण करने के अधिकार प्राप्त नहीं है। वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम–1972 के अन्तर्गत सभी अपराध संज्ञेय अपराध माने गये हैं।

जमानतीय एवं अजमानतीय अपराध

जमानतीय अपराध वह अपराध है, जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा होने का अधिकार प्राप्त है। जबकि अजमानतीय अपराध में अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने का अधिकार नहीं है। बल्कि इसमें न्यायालय का स्व विवेकाधिकार होता है। अजमानतीय अपराध वे होते हैं, जिसमें तीन वर्ष अथवा उससे अधिक सजा का प्रावधान हो। इस प्रकार वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम–1972 के तहत सिवाय धारा 38 (जे) के सभी अपराध अजमानतीय अपराध है।

जमानत स्वीकार करते समय कतिपय शर्तों को लगाना

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम–1972 के तहत धारा 51 (ए) के अन्तर्गत यदि कोई अभियुक्त पूर्व के किसी अपराध में इसी अधिनियम के अन्तर्गत सजा प्राप्त है, तो उसको जमानत पर नहीं छोड़ा जावेगा।

यदि उसने–

(1) इस अधिनियम के शिडयूल प्रथम या शिडयूल द्वितीय के भाग द्वितीय के वन्य प्राणी से संबंधित कोई अपराध किया है,

(2) राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य, टाइगर रिजर्व की सीमा के अन्दर शिकार के संबंध में कोई अपराध किया है,

(3) ऐसा कोई अपराध किया है, जिसका संबंध टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के अन्तर्गत है।

(4) ऐसा कोई अपराध किया है, जो राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य/टाइगर रिजर्व की सीमा बदलाव से संबंधित है।

यद्यपि उक्त प्रावधान विधिक है परन्तु न्यायालय उक्त प्रकरणों में निम्न परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर भी छोड़ सकता है।

(अ) पब्लिक प्रोसीक्यूटर (पी.पी.) लोक अभियोजक को जमानत पर छोड़ने अथवा विरोध करने का पर्याप्त अवसर दे दिया गया हो, और

(ब) लोक अभियोजक के विरोध करने के उपरान्त न्यायालय इस बात से संन्तुष्ट हो कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है। इस बात के न्यायोचित आधार हो, एवं जमानत पर छोड़ने पर वह ऐसे अपराध कारीत नहीं करेगा।

साथ ही, माननीय न्यायायल ऐसे अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (3) के अनुसार कतिपय शर्तें भी लगा सकता है।

शमन करने योग्य अपराध : वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत जो अपराध गम्भीर प्रकृति के नहीं हैं, को प्राधिकृत अधिकारी शमन कर सकता है, परन्तु जिन अपराधों में न्यूनतम सजा का प्रावधान हो, शमन नहीं किये जा सकते हैं।

वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम–1972 के अन्तर्गत निम्न अपराध शमन योग्य माने गए हैं:–

1. इस अधिनियम के शिड्यूल–I एवं शिडयूल–II के पार्ट–II से संबंधित अपराध,
2. अभयारण्य, नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व से संबंधित शिकार के प्रकरण,
3. अभयारण्य, नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व की सीमा में बदलाव, अतिक्रमण से संबंधित प्रकरण,
4. टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से संबंधित वन एवं वन्य जीव अपराध

अतः फील्ड में कार्यरत वनकर्मियों को उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखकर ही अपराध का अन्वेषण एवं वाद प्रस्तुतीकरण करना चाहिए।

नियुक्ति/स्थानान्तरण/पदस्थापन

राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा के निम्न अधिकारियों का स्थानान्तरण करके नव पदस्थापन किया है।

अधिकारी		नया पद
एम.के. कुरील	:	मुख्य वन संरक्षक, एनटीएफपी, जयपुर
जी.बी. रेड्डी	:	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर
श्रुति शर्मा	:	मुख्य वन संरक्षक, सिल्विकल्चर, जयपुर
मोहन मीणा	:	मुख्य वन संरक्षक, कोटा
इंद्राज सिंह	:	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जोधपुर
पी.के. उपाध्याय	:	अति. परियोजना निदेशक (प्रशासन) आरएफएण्ड बीपी, जयपुर
बी. प्रवीण	:	वन संरक्षक (एम एण्ड ई), जयपुर
शैलजा देवल	:	उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मंडल, जयपुर

मानद वन्य जीव प्रतिपालकों की नियुक्त

राज्य सरकार ने वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम–1972 की धारा 4 (1) (बीबी) के तहत निम्नानुसार जिलेवार मानद वन्यजीव प्रतिपालकों की नियुक्ति एक वर्ष के लिए की है।

जिला	:	मानद वन्य जीव प्रतिपालक
अजमेर	:	डॉ. मनोज माथुर
करौली	:	श्री कृष्णचन्द पाल
नागौर	:	श्री हिम्मताराम भाभूं
सीकर	:	श्री बसन्त कुमार लांटा
श्री गंगानगर	:	श्री हेतराम विश्नोई
दौसा	:	श्री गोपाल सिंह
बाड़मेर	:	श्री भाखराराम विश्नोई
बूंदी	:	श्री पृथ्वीसिंह राजावत

जिला	:	मानद वन्य जीव प्रतिपालक
झालावाड़	:	सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत
जैसलमेर	:	श्री मालसिंह
चूरू	:	श्री रेखाराम गोदारा
हनुमानगढ़	:	श्री अनिल कुमार विश्नोई
सवाई माधोपुर	:	श्री बालेन्द्र सिंह
जोधपुर	:	श्री राधेश्याम सोमाणी
डूंगरपुर	:	श्री विरेन्द्र सिंह बेड़सा
जालौर	:	श्री गणपत सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह
सिरोही	:	श्री देवीसिंह मालासर
पाली	:	श्री नन्दीवर्द्धन सिंह
राजसमन्द	:	श्री शत्रुंजय सिंह चुण्डावत
उदयपुर	:	श्री आरिफा तहसीफ
बीकानेर	:	श्री मोखाराम धारणियां
कोटा	:	श्री रविन्द्र सिंह तोमर
बांसवाड़ा	:	श्री प्रताप भानुसिंह
चित्तौड़गढ़	:	श्री राव नरेन्द्र सिंह
भरतपुर	:	ले. कर्नल श्याम सिंह
जयपुर	:	श्री मनीष सक्सेना
अलवर	:	श्री अनिल कुमार जैन
धौलपुर	:	श्री राजीव तोमर
प्रतापगढ़	:	श्री लक्ष्मण सिंह
झुंझुनूं	:	श्री जगमाल सिंह
भीलवाड़ा	:	श्री भैरूसिंह चुण्डावत
बारां	:	श्री महावीर प्रसाद चौधरी
टोंक	:	अमीर अहमद सुमन

अनुरोध :

वानिकी समाचार में प्रकाशनार्थ आलेख, छायाचित्र, विभागीय गतिविधियों की जानकारी, साझा वन प्रबन्ध की सफल कहानियां, कविताएं तथा अन्य सामग्री प्रकाशनार्थ आमंत्रित हैं। यह सामग्री ई-मेल से भी भेजी जा सकती है।

इस पत्रिका के अंक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

– सम्पादक

Book-Post

वन विभाग, राजस्थान के लिए उप वन संरक्षक (संचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण) कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) अरावली भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर से प्रकाशित। मुद्रण : प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, जयपुर। मार्च, 2012/3000 Website : www.rajforest.nic.in • E-mail : vanikisamachar@yahoo.com